



राजस्थान सरकार

बिजौलिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान... गोपालपुर

--:आदेश:-

प्रार्थी को "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोपालपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान न्यायनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोपालपुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा की समाप्त सन्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 68 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	गोपालपुर	68	खाता सं. 68 में आवेक का नाम काली पुत्री अमरचन्द जाति कराड़ है।	खाता सं. 68 में आवेक का नाम काली पुत्री अमरचन्द जाति कराड़ के स्थान पर नानी पुत्री अमरचन्द किया जाता है।



(सीमा प्रमारी अधिकारी)  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021  
उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)  
पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया

दिनांक :- 18/10/2021

तहसीलदार बिजौलिया को भेजकर लख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।  
प्रार्थी श्रीमती काली पुत्री अमरचन्द जाति कराड़ बिजौलिया तहसील, गोपालपुर का सूचनाथ।

प्रमारी अधिकारी  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021  
पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)  
पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया